MOST URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(42) ग्रावि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/प्र. स./2016–17 जयपुर, दिनांक 19 सितम्बर, 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र) समस्त,
राजस्थान।

विषय :– आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कार्यालय पर नियमित रूप से लाभार्थियों का प्रशिक्षण आयोजित कराने एवं मोबाईल एप "AwaasApp" के द्वारा किश्त आवेदन पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने बाबत्।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक एफ 27(11)ग्रावि/आईएवाई/पीआरसी/ग्रुप–5/2015–16 दि. 18.08.2015, स्थाई आदेश संख्या 28/2016 (परिपत्र) दि. 02.08.2016 एवं समसंख्यक पत्र दि. 22.08.2016

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी को आश्रय वर्ष–2022 के मध्यनजर इन्दिरा आवास योजना को सुदृढीकरण कर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण प्रारम्भ की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लाभार्थी/निरीक्षककर्ता स्तर से आवासों की प्रगति के क्रम में आवास की GEO Tag फोटो सीधे ही मोबाइल एप के द्वारा आवाससॉफ्ट पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है। जिससे आवाससॉफ्ट पर सीधे ही किश्त आवेदन सम्भव होने से लाभार्थी को योजनान्तर्गत देय किश्तों का त्वरित भुगतान सम्भव हो सकेगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत समीक्षा बैठकों में दिये गये निर्देशानुसार प्रासंगिक आदेशों द्वारा प्रगतिरत/नव स्वीकृत आवासों के लिए टैग अधिकारी/सामुदायिक संसाधन व्यक्ति लगाये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों की प्रगति आवासएप के माध्यम से ही GEO Tag फोटो अपलोड कराने के निर्देश दिये है।

प्रासंगिक आदेश दिनांक 18.08.2015 एवं स्थाई आदेश दिनांक 02.08.2016 अनुसार देय मानदेय/प्रोत्साहन राशि के निर्देश जारी किये गये है। आवासएप के माध्यम से ही GEO Tag फोटो अपलोड कराने हेतु टैग अधिकारी/सामुदायिक संसाधन व्यक्ति के पास इंटरनेट सुविधा सहित मोबाइल फोन एवं उसके संधारण की आवश्यकता होगी। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के साथ–साथ इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत गत वर्षों में स्वीकृत/प्रगतिरत आवासों की भी आवासएप के माध्यम से ही GEO Tag फोटो अपलोड कराने हेतु इंटरनेट सुविधा सहित मोबाइल फोन के संधारण की क्षतिपूर्ति हेतु योजना के प्रशासनिक मद अन्तर्गत अनुमत गतिविधि के क्रम में सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों/टैग अधिकारियों को राशि रू. 50/– प्रति किश्त प्रति आवास प्रोत्साहन/क्षतिपूर्ति राशि दी जावे।

प्रासंगिक पत्र दिनांक 22.08.2016 द्वारा टैग अधिकारियों के दायित्व/कर्तव्य निर्धारित किये गये है, जिसमें उनके द्वारा लाभार्थियों का नियमित प्रशिक्षण भी आयोजित किये जाने है। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु निर्धारित दिनांक 5 व 20 को ही नियमित रूप से ग्राम पंचायत कार्यालय पर योजनान्तर्गत लाभार्थियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जावें, जिसमें टैग अधिकारी/ग्राम पंचायत द्वारा प्रशिक्षण शिविर के दौरान लाभार्थियों को निम्न सुविधाएं/सहायता आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें :–

1. आवासों के आधुनिकतम सुन्दर नक्शों की पुस्तिका वितरण।
2. निर्माण हेतु प्रशिक्षित कारीगरों की सूची मय मोबाईल नम्बर वितरण।
3. लम्बित किश्त आवेदन/भुगतान हेतु शिविर में ही टैग अधिकारी द्वारा कार्यवाही।
4. पंचायत समिति द्वारा किश्त जारी करने के उपरान्त भी बैंक खाते में राशि जमा नहीं होने की शिकायत आदि के प्रकरणों का निस्तारण।

5. महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत अनुमत 90 अकुशल मानव दिवस हेतु मस्टोल जारी कराने व भुगतान में टैग अधिकारी द्वारा सहायता।
6. महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत अनुमत "पशु छायागृह" एवं व्यक्तिगत लाभ के अन्य अनुमत कार्य स्वीकृत/भुगतान की कार्यवाही में टैग अधिकारी द्वारा सहायता।
7. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रू. की स्वीकृति/ भुगतान में टैग अधिकारी द्वारा सहायता।
8. बैंकों से आवास ऋण उपलब्ध कराने में टैग अधिकारी द्वारा सहायता।
9. मोबाइल–एप "AwaasApp" के उपयोग की जानकारी देकर किश्त आवेदन। गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल–एप "AwaasApp" मुफ्त डाउनलोड की जा सकती है।
10. मोबाइलएप से "AwaasApp" के उपयोग की जानकारी देकर किश्त आवेदन। गूगल प्ले स्टोर से मोबाइलएप से "AwaasApp" मुफ्त डाउनलोड की जा सकती है।
11. मोबाइलएप से किश्त आवेदन पर रू 50 प्रति आवास प्रति किश्त प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

उल्लेखनीय है कि योजना के प्रचार–प्रसार के क्रम में ग्राम पंचायत कार्यालय पर शिविर के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी एवं टैग अधिकारियों के नाम मय फोन नम्बर का यथोचित अंकन भी कराया जाना सुनिश्चित करें।

16.9.2016

(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रावि एवं पंरावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास ।
7. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. परि. निदेशक एवं पदेन उपसचिव (एसएपी/मो. एवं मू.),ग्रामीण विकास को बेव–साईट पर अपलोड करने हेतु।
10. जिला प्रभारी अधिकारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को जिले में भ्रमण के दौरान समीक्षा बाबत्।
11. अधिशाषी अभियंता (अभि.)/नरेगा, जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
13. गार्ड फाईल।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)